राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.11(9)नविवि/2020 जयपुर, दिनांक : 03 SEP 2021

परिपत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग के मार्गाधिकार, रेलवे सीमा से निर्धारित दूरी छोडे जाने एवं रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित रक्षा संस्थापन/स्थापना (Defence Establishments/ Installations) से दूरी छोड़े जाने के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न आदेशों/भवन विनियमों में स्थिति स्पष्ट की गई है। उक्त प्रावधानों को निम्नानुसार पुनः स्पष्ट किया जाता है :–

1. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग का मार्गाधिकार :–

a. नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 24.01.2019 के अनुसार "राज्य के समस्त शहरो/कस्बो के मास्टर प्लान में नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राज्य मार्गो/राज्य मार्गो का मार्गाधिकार आई.आर.सी. व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार 200 फीट रखा जावे व 200 फीट सडक मार्गाधिकार के पश्चात् दोनो तरफ 100 फीट चौडी वृक्षारोपण पट्टी का भी प्रावधान रखा जावे।"

अतः नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर उक्त प्रावधानानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

b. नगरीयकरण क्षेत्र के अन्दर मास्टर प्लान में निर्धारित सडक मार्गाधिकार के अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जानी है।

c. जिन शहरों में राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गो के बाईपास निर्मित हो चुके हैं, उन शहरो के मास्टर प्लानों में नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में मौके पर हो चुके निर्माणों व स्थानीय निकायों द्वारा दी गई स्वीकृतियों के दृष्टिगत स्थापित भवन रेखा को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग की चौडाई का पुनर्निर्धारण स्थानीय निकायों द्वारा मास्टर प्लान में संशोधन की प्रक्रिया के तहत किया जा सकेगा।

2. रेलवे सीमा से लगते हुये क्षेत्र में पट्टा दिये जाने के सम्बन्ध में :–

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.05.2018 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि रूपान्तरण/ नियमन/भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में रेलवे सीमा के पश्चात् नियमन कर पट्टे जारी किये जा सकते है, परन्तु रेलवे सीमा से लगती हुई 30 मीटर क्षेत्र में भूमि पर निर्माण से पूर्व सम्बन्धित रेलवे प्राधिकारी (Authority) को सूचित किया जाना आवश्यक है।

भारतीय रेलवे वर्क्स मेनुअल 2000 के प्रावधानानुसार रेलवे सीमा से 30 मीटर की दूरी में भवन निर्माण किये जाने से 90 दिवस पूर्व रेलवे प्राधिकारी (Railway Authority) को

सूचित किये जाने का प्रावधान है। अतः सम्बन्धित निर्माणकर्ता द्वारा स्थानीय निकाय के माध्यम से निम्न दस्तावेज रेलवे विभाग को प्रेषित किया जाना आवश्यक है :–

a. Clear title of land in favour of applicant supported by all related documents.
b. Detailed drawing of the building showing complete layout (including height, width and length).
c. Structural stablity certificate by civil/ structural engineer.

90 दिवस की अवधि में रेलवे प्राधिकारी (Railway Authority) से सम्बन्धित स्थानीय निकाय/निर्माणकर्ता को आपत्ति प्राप्त नहीं होने के स्थिति में निर्माणकर्ता द्वारा रेलवे प्राधिकारी (Railway Authority) को लिखित में सूचित कर नियमानुसार निर्माण कार्य किया जा सकेगा।

3. <u>रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित रक्षा संस्थापन/स्थापना (Defence Establishments/ Installations) की सीमा से लगते हुये क्षेत्र में निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में</u> :–

रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित रक्षा संस्थापन/स्थापना की सीमा से लगते हुये क्षेत्र में निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में भवन विनियम–2020 के प्रावधान संख्या 10.6 निम्नानुसार है –

"रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा संस्थापन/स्थापना (Defence Establisments/ Installations) के निकट स्थानीय मिलट्री ऑथोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के सबंध में राज्य के नगरीय क्षेत्र में स्थित रक्षा संस्थापन/स्थापना (Defence Establisments/ Installations) की सीमा से 500 मीटर तक की परिधि क्षेत्र में निर्माणों की स्वीकृति बाबत् रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।"

नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 24.02.2020 द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि राज्य के नगरीय क्षेत्रो में स्थित रक्षा संस्थापन/स्थापना (Defence Establisments/ Installations) की सीमा से 500 मीटर तक की परिधि क्षेत्र में निर्माणो की स्वीकृति बाबत रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 18.05.2011 के अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी। आदेश दिनांक 18.05.2011 के अनुसार रक्षा संस्थापन/स्थापना (Defence Establisments/ Installations) की सीमा से 100 मीटर के अन्दर किसी भी प्रकार के निर्माण हेतु तथा 100 मीटर से अधिक किन्तु 500 मीटर तक की सीमा में चार मंजिल से अधिक के निर्माण हेतु रक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति लिया जाना आवश्यक है।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
6. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम